

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एल-12011/10/2011-जीपी

### प्राकृतिक गैस की स्वैपिंग पर दिशानिर्देश

#### परिभाषा<sup>1</sup>

प्राकृतिक गैस का "स्वैपिंग" एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कोई पार्टी, इसके बाद से 'पहली पार्टी' के रूप में उल्लेख किया गया है, किसी 'दूसरी पार्टी' को उसके द्वारा अपेक्षित स्थल पर गैस की आपूर्ति करती है, 'जिसके बदले में' दूसरी पार्टी, पहली पार्टी को या पहली पार्टी के प्रतिनिधि को अन्य स्थल पर गैस की ऊर्जा समकक्ष मात्रा (सीधे या ट्रांसपोर्टर(रों) के माध्यम से) की आपूर्ति करने पर किसी अतिरिक्त वित्तीय देयता से पहली पार्टी को क्षतिपूर्ति करने पर सहमति देगी।

#### दिशा-निर्देश

- (क) सभी संबंधित पार्टियों (आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता और ट्रांसपोर्टर) को किसी संभावित स्वैप लेनदेन के लिए किफायती स्वैप व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए।
- (ख) स्वैपिंग का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी शामिल पार्टियां स्वैपिंग व्यवस्था से पहले मौजूदा पार्टियों के बीच अनुबंध के संबंध में पूरी पाइपलाइन की अवधि में राजस्व के प्रति तटस्थ रहें।
- (ग) किसी भी स्वैपिंग व्यवस्था से पहले मौजूद अपने अनुबंध (जीएसए; जीटीए आदि) के तहत निर्धारित पार्टियों के अधिकार और दायित्व सामान्य रूप से अपरिवर्तित रहेंगे, जब तक पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए। हालांकि, पीएनजीआरबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, संविदागत मार्ग और परिचर टैरिफ के आधार पर वास्तविक गैस की स्वैपिंग के लिए संविदागत पार्टियों के बीच नए सिरे से हस्ताक्षर किए जाएं।

---

<sup>1</sup> ऐसा लेनदेन करने का कारण, ऐसे स्वैप के अभाव में गैस की अनुपलब्धता हो सकती है, क्योंकि ग्राहक पाइपलाइन में एकतरफा प्रवाह के कारण आरएलएनजी प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे वे जुड़े हैं, या जहां समृद्ध गैस को किसी एलपीजी संयंत्र को आपूर्ति के लिए स्वैप किया जा सकता है, जिसमें किसी विद्युत संयंत्र में लीन गैस की आवश्यकता हो या जहां किसी स्थान पर ग्राहक के कई परिसरों के लिए गैस की डिलीवरी करने की आवश्यकता हो, जो गैस के स्रोत के रूप में समान नेटवर्क / पाइपलाइन पर नहीं हो सकता। स्थिति की यह सूची अंतिम नहीं है बल्कि यह एक उदाहरण मात्र है।

- (घ) गैस की कोई भी स्वैपिंग मौजूदा टैरिफ और पीएनजीआरबी के अन्य लागू / संगत विनियम के अनुरूप होगी और इसके बारे में किसी भी विवाद का समाधान पीएनजीआरबी के समक्ष किया जाएगा।
- (ङ) ऐसी स्वैपिंग व्यवस्था के कारण किसी वर्तमान या भावी अतिरिक्त लागत या कर व्याप्तता को दूसरी पार्टी (या लाभार्थी ग्राहक) द्वारा वहन की जाएगी, क्योंकि यह व्यवस्था उसके लाभ के लिए की गई है।
- (च) यदि आवश्यक हो तो (स्वैप के लिए किसी भी पार्टी द्वारा), दूसरी पार्टी (लाभार्थी ग्राहक) पहले पार्टी (गैस के आपूर्तिकर्ता) और ट्रांसपोर्टर्स या किसी अन्य पार्टी को स्वैप करने के लिए एक क्षतिपूर्ति बांड प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ऐसी स्वैपिंग व्यवस्था से किसी वैधानिक / कर दावों से प्रभावित न हों।
- (छ) किसी आवंटि को गैस का आबंटन (यदि इसे सरकार द्वारा गैस आवंटित की गई है) और आवंटि को मात्रा की वास्तविक आपूर्ति, स्वैपिंग व्यवस्था (आवंटि या तो दूसरी पार्टी (स्वैप का लाभार्थी) या स्वैप को सक्षम बनाने वाली पार्टी हो सकती है) के कारण नहीं बदलनी चाहिए।
- (ज) गैस स्वैपिंग लेन-देन का पूर्ण और पृथक खाता गैस के अंतिम उपयोग की शर्तों के अनुसार संबंधित सभी दलों द्वारा रखा जाएगा यदि स्वैपिंग में शामिल गैस सरकार द्वारा आवंटित की जाती है। यदि आवश्यक हो, तो इस खाते को सरकार के समक्ष रखा और प्रस्तुत किया जाएगा।
- (झ) स्वैपिंग व्यवस्था से राजस्व में तटस्थता सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन यह आदर्श रूप से यथासंभव किफायती होनी चाहिए।
- (ञ) यदि स्वैपिंग तकनीकी रूप से संभव है तो यह गैस की स्वैपिंग से इनकार करने हेतु गैस के परिवहन के लिए उत्तरदायी किसी भी कंपनी को नहीं दी जानी चाहिए। यदि तकनीकी कारणों से इस तरह की स्वैपिंग रूकती है, तो कंपनी द्वारा ऐसा इनकार लिखित रूप में जारी किया जाना चाहिए कि वह इसे अस्वीकार करता है और उसे तकनीकी तौर पर इनकार करने का कोई न्यायसंगत विवरण देना होगा।
- (ट) इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में किसी भी गैस स्वैप लेनदेन के लिए, पार्टियों को मंजूरी के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संपर्क नहीं करना होगा।
- (ठ) सरकार को समय-समय पर दिशानिर्देशों में कोई भी संशोधन करने का अधिकार होगा।